4 C.F.T. Rs.7.-

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
455 25.9.18	25.9.18	25.9.18	न्यायालय उप जिलाधिकारी मड़िहान मीरजापुर

न्यायालय उप जिलाधिकारी मड़िहान, मीरजापुर।
मु०नं० 55 सन्/18 अन्तर्गत धारा 80(1) उ०प्र० रा० संहिता 2006
बसन्त शिक्षा समिति ट्रस्ट बनाम सरकार
द्वारा स्वामी शरण यादव
बाबत मौजा देवरी कला नम्बर 84 परगना
कोन्ति तहसील मड़िहान, मीरजापुर।

नकल आदेश दिनांक 14.9.18 की प्रमाणित छायाप्रति
संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :मिर्जापुर,तहसील :मड़िहान
वाद संख्या :-02633/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201816530302633
बसंत शिक्षा समिति ट्रस्ट बजरिये स्वामी शरण यादव बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय उपजिलाधिकारी, मड़िहान, मीरजापुर।

मु0नं0 55 सन् 2018 अर्न्त0धा0 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006

बसंत शिक्षा समिति ट्रस्ट बजरिये स्वामी शरण यादव बनाम सरकार ।

बावत मौजा देवरीकलां, तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील मड़िहान, जनपद मीरजापुर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद बसन्त शिक्षा समिति बजरिये स्वामी शरण यादव पुत्र स्व0 सूर्य नाथ, निवासी धरांव, तहसील सकलडीहा, परगना महलिया, जिला चन्दौली द्वारा संस्थित हुआ, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि मौजा देवरीकला, तप्पा 84, तहसील मड़िहान, जिला मीरजापुर की खतौनी सन् 1420फ0–1425फ0 के खाता सं0 16 की आ0नं0 335ग रकबा 0.379हे0 व आ0नं0 331 रकबा 0.120हे0 व आ0नं0 341 रकबा 1.0379हे0 व आ0नं0 333, 334 रकबा 0.7775हे0 में से क्षेत्रफल 2.3154हे0 भूमि अकृषिक कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली जांच हेतु तहसीलदार मड़िहान को प्रेषित की गयी। तहसीलदार मड़िहान की आख्या दिनांक 12–09–2018 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत आराजी आवेदक की भूमिधरी भूमि है। संयुक्त खातेदारों की एवं एकल खाते की भूमि है। इसके मध्य कोई भी विधिक विभाजन नहीं हुआ है। आराजी का कुछ भाग सम्पूर्ण है तथा कुछ आंशिक भाग है। खतौनी में किसी संस्था अथवा बैंक के पक्ष में बंधक नहीं है। आराजी आवासीय रकबा 2.3154हे0 व्यावसायिक/औद्योगिक निर्माण किया गया है, जिस पर विद्यालय बना हुआ है। प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक किये जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा ऐसे किसी उपयोग में नहीं प्रयोग किया जायेगा, जिससे असामाजिकता, सुरक्षा सुविधा पर वर्तमान में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अकृषिक घोषित किये जाने से आवेदक द्वारा जो निर्माण किया गया है। महायोजना में प्रस्तावित उपयोग के विरूद्ध नहीं है तथा गॉवसभा/राज्य सरकार को कोई क्षति नहीं है। नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है।

आदेश

अतः बावत देवरीकलां, तप्पा 84, परगना कंतित, तहसील मड़िहान, जनपद मीरजापुर की खतौनी सन् 1420फ0–1425फ0 के खाता सं0 16 आ0नं0 331 रकबा 0.2400हे0 में से रकबा 0.126हे0 व खाता संख्या 170 की आ0नं0 335ग रकबा 3.7210हे0 में रकबा 0.379हे0 व खाता सं0 171 की आ0नं0 341ख रकबा 5.0590हे0 में से रकबा 1.3379हे0 व खाता सं0 301 की आ0नं0 333 रकबा 1.2140हे0 व आ0नं0 334 रकबा 0.3410हे0 योग 2 गाटा

9/25/2018, 2:23 PM

15/9/18

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :मिर्जापुर,तहसील :मड़िहान
वाद संख्या :-02633/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201816530302633
बसंत शिक्षा समिति ट्रस्ट बजरिये स्वामी शरण यादव बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

कुल रकबा 1.5550हे0 में रकबा 0.7775हे0 कुल रकबा 2.3154हे0 बसंत शिक्षा समिति ट्रट बजरिये स्वामी शरण सिंह यादव की भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/9/18

(सविता यादव)
उप जिलाधिकारी, मड़िहान,
मीरजापुर।

आज दिनांक 14/9/18 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित आदेश खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

14/9/18

(सविता यादव)
उप जिलाधिकारी, मड़िहान,
मीरजापुर।

सत्य प्रतिलिपि